UPFT010050362022

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0

(महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित न्यायालय) न्यायालय संख्या–01, फतेहपुर

उपस्थितः अशोक कुमार–XII, उच्चतर न्यायिक सेवा (JO CODE UP–1840)

सत्र परीक्षण संख्या–994/2022

उ०प्र० राज्य

... ...अभियोजन

बनाम

जवाहरलाल पुत्र श्री जगदीश, उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी ग्राम रज्जीपुर छिवलहा, थाना हथगांव, जिला फतेहपुर।

.........अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–87/2022

धारा–376, 354(क)(i), 323, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–हथगांव, जिला फतेहपुर।

उ०प्र० राज्य की ओर से–श्री महेन्द्र सिंह, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री हरी नारायण दीक्षित, एडवोकेट।

निर्णय

1. थाना हथगांव, जिला फतेहपुर की पुलिस द्वारा विवेचनोपरांत मु0अ0सं0–87/2022 के अभियुक्त जवाहर लाल के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–92/2022 दिनांकित 05–08–2022 अंतर्गत धारा–376, 354(क), 323, 506 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु न्यायालय ए0सी0जे0(जे०डी०)/जे०एम० कोर्ट

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.07.30 16:20:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संख्या–04 फतेहपुर में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में दिनांक 25–08–2022 को प्रसंज्ञान लिया गया। प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं०–04, फतेहपुर के द्वारा प्रस्तुत वाद की पत्रावली दिनांक 22–09–2022 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,(सी०ए०डब्लू०), कोर्ट संख्या–01 फतेहपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप दिनांकित 07–10–2023 विरचन किया गया। तदोपरांत न्यायालय माननीय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के आदेश दिनांक 12–09–2024 के अनुपालन में प्रस्तुत पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03 से स्थानान्तिरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर 2006 (एस.सी) 2214** में माननीय न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के प्रकाश में इस निर्णय में मामले की पीड़िता का नाम वर्णित नहीं किया जा रहा है। निर्णय में पीड़िता को 'क' नाम से संबोधित किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी/पीड़िता आमिलिहापाल थाना हथगांव, जिला फतेहपुर की रहने वाली है। प्रार्थिनी/पीड़िता दिनांक 05/06/2022 को समय करीब 4 बजे दिन छिवलाहा कस्बे नहर पुलिया के पास कोतला रोड में दवा की दुकान खोले जवाहर लाल पुत्र जगदीश के यहां दवा कराने गयी थी। जवाहर लाल पीड़िता को दुकान में पर्दा के पीछे ले गया और पीड़िता लोअर पहने थी कहा की लोअर उतार दो और पीड़िता के सीने पर हाथ लगा कर छेड़खानी किया और कहता रहा की मेरे साथ सम्बन्ध बना लो तो मैं दवा फ्री करूंगा कोई पैसा नहीं लूंगा, जिस पर पीड़िता ने विरोध किया तो धमकी दिया की कहीं शिकायत व किसी से बताया तो जहर की सूई लगा दूंगा। प्रार्थिनी/पीड़िता किसी तरह छुड़ा कर साइकिल से घर गयी एवं पूरी घटना अपनी माँ से बतायी व छीना छपटी में उसके शरीर में खरोच भी आयी हैं। आज प्रार्थिनी/पीड़िता अपनी माँ के साथ रिपोर्ट लिखाने आयी है, प्रार्थिनी/पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें।

4. थाना स्थानीय पर वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर में वर्णित तथ्यों के आधार पर थाना हथगांव, जनपद फतेहपुर में मु०अ०स०–87/2022 अंतर्गत धारा–354,

323, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त जवाहर लाल के विरुद्ध दिनांक 07–06–2022 को समय 15.33 बजे तहरीर दर्ज किया गया तथा प्रकरण की विवेचना आरंभ की गयी। वादिनी मुकदमा के बयान अंतर्गत धारा 161 व अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किए गए। घटना स्थल की नक्शा नजरी तैयार की गयी तथा अन्य साक्षीगण के बयान अंकित करने के उपरांत विवेचक द्वारा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० के अवलोकन के उपरांत प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त जवाहर लाल के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध अंतर्गत धारा–376, 354(क), 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 का होना पाया गया, जिसके उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा– 376, 354(क), 323, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय ए0 सी0 जे0(जे०डी०)/जे०एम० कोर्ट संख्या–04 फतेहपुर में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में दिनांक 25–08–2022 को प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात न्यायालय सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,(सी०ए०डब्लू०),संख्या–01, कोर्ट संख्या–01 फतेहपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप दिनांकित 07–10–2023 विरचन किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक व अभियुक्त पर लगे आरोप के समर्थन में कुल दो मौखिक साक्षीगण की साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है–

पी०डब्ल्यू01.....वादिनी मुकदमा/पीड़िता,

पी०डब्ल्यू02..... डा० प्रतिभा गौतम।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन अभिलेखों की औपचारिक प्रमाणिकता अन्तर्गत धारा–294 दं०प्र०सं० स्वीकार की गयी है, तत्पश्चात अभियोजन ने अपना साक्ष्य समाप्त किया।

8. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए इन अभिलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है–

1.तहरीर, प्रदर्श क–1,

2.पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं०, प्रदर्श क–2,

3.पीड़िता की मेडिकोलीगल रिपोर्ट, प्रदर्श क–3

4.प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क–4,

5.जी०डी० कायमी, प्रदर्श क–5,

6.नक्शा नजरी, प्रदर्श क–6,

7.आरोप पत्र, प्रदर्श क–7,

8.मेडिकल प्रपत्र, प्रदर्श क–8

9. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 16–07–2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना से इन्कार किया, गवाहों द्वारा झूठी गवाही देना कहा तथा मुकदमा रजिशंन चलाया जाना कहा एवं सफाई साक्ष्य देने से मना किया।

10. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को अंतिम बहस को सुना।

11. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने तर्क किया कि पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान पर अपनी फोटो व हस्ताक्षर की पहचान की है। धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिया गया बयान अति महत्वपूर्ण व प्रासंगिक हैं, जिसको दिए जाने के समय पीड़िता पर किसी प्रकार के किसी दबाव का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। उक्त बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगा आरोप साबित होता है। उक्त के विरुद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का कोई भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376, 354(क)(i), 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत उपधारणा हेतु भी पर्याप्त नहीं है। धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान सारभूत साक्ष्य नहीं है, अतः उक्त बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि स्वयं पीडिता ने अभियुक्त के द्वारा कोई भी गलत काम अथवा अभद्रता न किए जाने का स्पष्ट बयान दिया है। अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

12. अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोप को साबित करने के लिए दो साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से पी०डब्ल्यू01 वादिनी मुकदमा/पीड़िता है, पी०डब्लू–02 पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली डा० प्रतिभा गौतम है।

13. प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी स्वंय पीड़िता है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू0–01 के रूप में पीड़िता है, ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि *"वह कक्षा 8 तक पढ़ी लिखी है। वह केवल अपना हस्ताक्षर बना देती है। दिनांक 05–06–2022 को समय करीब शाम चार बजे छिवहा कस्बे में नहर पुलिया के पास पुतला रोड में दवा की दुकान खोले जवाहर लाल पुत्र जगदीश के यहां दवा कराने वह नहीं गयी थी और न ही जवाहर लाल ने उसे दुकान के पर्दे के पीछे ले जाकर उसके साथ कोई छेड़खानी की थी और न ही उसका लोवर उतारने की बात कही थी और न ही जवाहरलाल ने उसे धमकी दी थी। गांव के कुछ लोगों ने उसके शादे कागज में हस्ताक्षर बनवा लिये थे, उस पर क्या लिखा था, उसे पढ़कर नहीं सुनाया था, उन लोगों ने उसे व उसकी मां को बहला फुसलाकर थाने पर एक प्रार्थनापत्र उससे लिखवा दिया था, उस पर क्या लिखा था, उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। पत्रावली में शामिल मिसिल कागज सं०–3 अ/4 तहरीर प्रार्थनापत्र को देखकर गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की, जिस पर* ***प्रदर्श क–1*** *डाला गया। यह तहरीर साक्षी को पढ़कर सुनायी गयी तो साक्षी ने कहा कि इसमें लिखी बात गलत है। जब उसने प्रार्थनापत्र दिया था, तो उसमें क्या लिखा था, इन बातों की जानकारी उसे नहीं थी। हाजिर अदालत जवाहरलाल को वह जानती व पहचानती है, उसने पीड़िता के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। उसका थाने पर महिला पुलिस ने सादे कागज पर हस्ताक्षर बनवा लिया था, उस पर क्या लिखा गया था, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी और न ही महिला पुलिस ने उसे लिखने के बाद पढ़कर सुनाया था। पत्रावली में शामिल कागज सं० 8 अ पर बने अपने हस्ताक्षर की गवाह ने अपना होना कहा किंतु उस पर लिखी बातें उसे पढ़कर सुनायी गयी तो गवाह ने कहा कि यह बातें गलत लिखी हुई हैं। उसका मेडिकल परीक्षण जिला महिला चिकित्सालय फतेहपुर में दिनांक 08–06–2022 को हुआ था व वह साइकिल चलाने में गिर जाने के कारण आयी चोटों का मेडिकल है। उसे मेडिकल परीक्षण हेतु जिला महिला चिकित्सालय फतेहपुर ले गयी थी, वहां पर डाक्टर साहब ने उसका बयान घटा के वाबत लिखा था। वह बयान उसने महिला पुलिस के दबाव में दिया था। थाने की पुलिस ने उसका मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान कराया था, इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष एक सील बंद लिफाफा पीड़िता का पेश किया गया न्यायालय की*

अनुमति से खोला गया, जिसके अंदर से धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान कागज सं० 13अ/2 निकाला गया, बयान के नीचे बने अपने हस्ताक्षर व उस पर चस्पा फोटो की गवाह ने अपने होने की पहचान व पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। साक्षी को उसका धारा 164 दं०प्र०सं० का संपूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह बयान उसने पुलिस के दबाव में व दूसरे के सिखाने व बरगलाने पर दिया था। दरोगा जी को उसने कोई घटना स्थल नहीं दिखाया गया था। साक्षी को इस स्तर पर अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करने की याचना की गयी। साक्षी को ***पक्षद्रोही घोषित*** *करते हुए जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।*

14. इस साक्षी से अभियोजन पक्ष की ओर से जिरह की गयी तथा साक्षी को उसका धारा-161 दं०प्र०सं० का संपूर्ण बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि उक्त बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया था कैसे लिख लिया, उसका वह कोई कारण नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि अभियुक्त जवाहर लाल से आपसी सुलह समझौता व लेन देन हो जाने के कारण वह आज अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयानों व दरोगा जी को दिखाये गये घटनास्थल से मुकर गयी है। यह कहना गलत है कि दिनांक 05-06-2022 को दिन में चार बजे वह इलाज हेतु छिवलाह कस्बे में नहर पुलिया के पास पुतला रोड में डाक्टर जवाहरलाल दवा खाने में दवा कराने गयी रही हो और जवाहरलाल ने दवा खाना में पर्दे के पीछे ले जाकर उसका लोवर उतार देने को कहा हो और उसके साथ संबंध बनाने को कहा हो तथा पीड़िता के साथ छेड़खानी की हो। यह कहना गलत है कि मुकदमे में अभियुक्त को सजा होने से बचाने की नियत से न्यायालय के समक्ष सही बात न बताकर अभियुक्त के पक्ष में झूठी गवाही दे रही है। पी०डब्लू-02 पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली डा० प्रतिभा गौतम है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि दिनांक 27-06-2022 को वह जिला महिला चिकित्सालय फतेहपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थी, उस दिन महिला कां० शिवानी पी०एन०ओ० नं० 192273187 थाना हथगांव से मु०अ०सं० 87/2022 से संबंधित पीड़िता को लेकर मेडिकल परीक्षण हेतु उसके समक्ष समय 11:30AM पर उपस्थित आयी थी। मेडिकल परीक्षण के समय पीड़िता पूरे होश हवास में थी। पीड़िता अपने भाई व मामा के साथ आयी थी। पीड़िता के दाहिने व बांये हाथ का निशान अंगूठा लगाये थे, जिन्हें साक्षी ने प्रमाणित किया था।

पीड़िता ने उसे बताया था कि पीड़िता को पंद्रह साल की उम्र में पहली बार मासिक धर्म हुआ था, जो 28-30 दिन के रेगुलर सरकिल में होता था व अंतिम बार 01-06-2022 को हुआ था। पीड़िता जब उसके समक्ष मेडिकल परीक्षण के लिए आई थी तो वह प्रेगनेंट नहीं थी और न घटना के समय प्रेगनेंट थी। साक्षी ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण 12:00PM पर शुरु करके 01:00PM पर समाप्त किया था। साक्षी ने मेडिकल आख्या परीक्षण के दौरान ही अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो पत्रावली में शामिल कागज सं० 10 अ/4 लगायत 10 अ/12, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करती है, जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। उसकी राय में मेडकिल परीक्षण के दौरान कोई जबरदस्ती के निशान पीड़िता के शरीर पर मौजूद नहीं पाये गये। बलात्कार के संबंध में एफ०एस०एल० के पूर्व निश्चित राय नहीं दी जा सकती। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

15. अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि दिनांक 05–06–2022 को समय 16.00 बजे, बहद स्थान नहर पुलिया के पास कोतला रोड बहद ग्राम कस्बा छिवलहा, अंतर्गत थाना हथगांव जिला फतेहपुर में अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्कार/गलत काम किया गया है व उसका लोवर खिसका दिया और उसके स्तन दबाकर शारीरिक सम्पर्क और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो व उसको मारा– पीटा एवं उसके सीने पर खुरच कर स्वेच्छा उपहति कारित किया व पीड़िता को लोक शांति भंग करने, प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया तथा उसको जान से मारने की धमकी दी। इस आधार पर अभियोजन की ओर से अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का अनुरोध किया गया।

16. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में व्यापक विरोधाभाष है तथा स्वयं कथित घटना की पीड़िता द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। इस कारण से अभियोजन कथानक विश्वसनीय नहीं रह जाता है और अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

17. अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यद्यपि साक्षी पी०डब्लू01 वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में न तो घटना का समर्थन किया

गया है और न ही पीड़िता द्वारा जिरह में ही अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण की अन्य साक्षी पीड़िता का मेडिकल करने वाली चिकित्सक साक्षी डा० प्रतिभा गौतम हैं, जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट तैयार किये जाने का कथन किया है तथा बाह्य परीक्षण के दौरान साक्षी को पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार का कोई चोट या जबरदस्ती का कोई निशान नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

18. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत सत्र परीक्षण में निम्न लिखित अवधार्य बिन्दु उभरकर आते हैः–

1– क्या दिनांक 05–06–2022 को समय 16.00 बजे, बहद स्थान नहर पुलिया के पास कोतला रोड बहद ग्राम कस्बा छिवलहा, अंतर्गत थाना हथगांव जिला फतेहपुर में अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्कार/गलत काम किया गया है व उसका लोवर खिसका दिया और उसके स्तन दबाकर शारीरिक सम्पर्क और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो व उसको मारा– पीटा एवं उसके सीने पर खुरच कर स्वेच्छा उपहति कारित किया व पीड़िता को लोक शांति भंग करने, प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया तथा उसको जान से मारने की धमकी दी?

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–1</u>

अभियुक्त द्वारा लिये गये तर्कों के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध गवाहों के मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का मूल्यांकन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के आधार पर किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि केवल साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने के कारण ही उसका सम्पूर्ण साक्ष्य बेकार नहीं हो जाता है, उसके द्वारा दिये गये साक्ष्य उस भाग पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जा सकता है, जो कि अन्यथा विश्वसनीय है।

19. पीड़िता के साक्ष्य के मूल्यांकन के सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था <u>Rajoo and ors V. State of M.P. AIR 2009 Supreme Court 858</u> का भी अवलोकन किया गया, जिसके पैरा नम्बर–९ में

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि– "The aforesaid judgments lay down the basic principle that ordinarily the evidence of a prosecutrix should not be suspect and should be believed, the more so as her statement has to be evaluated at par with that of an injured witness and if the evidence is reliable, no corroboration is necessary. Undoubtedly, the aforesaid observations must carry the greatest weight and we respectfully agree with them, but at the same time they cannot be universally and mechanically applied to the facts of every case of sexual assault which comes before the Court. It cannot be lost sight of that rape causes the greatest distress and humiliation to the victim but at the same time a false allegation of rape can cause equal distress, humiliation and damage to the accused as well. The accused must also be protected against the possibility of false implication, particularly where a large number of accused are involved. It must, further, be borne in mind that the broad principle is that an injured witness was present at the time when the incident happened and that ordinarily such a witness would not tell a lie as to the actual assailants, but there is no presumption or any basis for assuming that the statement of such a witness is always correct or without any embellishment or exaggeration." स्पष्ट है कि यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि बलात्कार की पीड़िता द्वारा जो भी कहा जायेगा, वह सत्य ही होगा और वह झूठ नहीं बोल सकती या बढ़ा–चढ़ा करके घटना नहीं बता सकती। यह सत्य है कि बलात्कार जैसी घटना पीड़िता को बहुत ही अपमानित करती है। इसी प्रकार अभियुक्त पर बलात्कार का झूठा आरोप उसे बहुत ही अपमानित करता है तथा समाज में नीचा दिखाता है।

20. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्षीगण की साध्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त पर लगा आरोप

प्रमाणित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर लगे आरोप के संदर्भ में आवश्यक अवयवों को साबित नहीं कर सका है।

21. जहां तक विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० के आधार पर अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किए जाने की उपधारणा का तर्क है, न्यायालय उक्त तर्क से सहमत नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जार्ज व अन्य बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य 1998 (36) ए०सी०सी० 739 (एस०सी०)** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अंकित बयान को मौलिक (स्वतंत्र अथवा सारगर्भित) साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। माननीय उच्च तम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था में पारित सिद्धांतों के आलोक में मात्र 164 दं०प्र०सं० के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना अथवा अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किए जाने की उपधारणा करना उचित व विधि सम्मत नहीं है। ऐसा उस स्थिति में अग्रेतर विधिपूर्ण नही है, जब पीडिता ने स्वयं न्यायालय में दिये बयान में अभियुक्त पर लगे आरोपों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है तथा धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान को गांव वालों व पुलिस के दबाव में दिए जाने का स्पष्ट कथन पीडित द्वारा न्यायालय के सम्मुख अंकित बयान में किया गया है।

22. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त पर लगे आरोपों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं होता है। इस प्रकार पत्रावली में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे आधारभूत तथ्यों को साबित नहीं किया जा सका है। साक्षीगण की साक्ष्य अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत लगे धारा–376, 354(क)(i), 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 के आरोप को भी संदेह से परे साबित नहीं करते हैं। उक्त परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है। वादिनी मुकदमा/पीड़िता पी0 डब्लू0–01 के द्वारा न्यायालय के समक्ष जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया गया है। इस प्रकार आपराधिक कृत्य के लिए न्यायहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि साक्षी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उसका धारा 383 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के अंतर्गत संक्षेपितः विचारण किया जाये।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जवाहर लाल को सत्र परीक्षण संख्या–994/2022 मुकदमा अपराध संख्या–87/2022 आरोप अंतर्गत धारा–376, 354(क)(i), 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। धारा 437 ए दं0 प्र०सं० के अंतर्गत दाखिल बंधपत्र व जमानतनामे के अतिरिक्त, अभियुक्त के शेष बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

साक्षी पी0 डब्लू0–01 वादिनी मुकदमा/पीड़िता के विरूद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर धारा 383 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी की जाये।

दिनांक–28–07–2026 (अशोक कुमार–XII)

(JO CODE UP–1840)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0

(सी0 ए 0 डब्लू0)न्यायालय संख्या–01, फतेहपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–28–07–2026 (अशोक कुमार–XII)

(JO CODE UP–1840)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0

(सी0 ए 0 डब्लू0)न्यायालय संख्या–01, फतेहपुर।